नये विकास का एच0 आई0 वी0 वायरस

1049. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या एच0 आई0 वी0 वायरस की किसी नई किस्म का पता लगा हैं;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग)क्या इस वायरस को फैलने से रोकने के लियेए किन्हीं उन्नत किस्त के जांच उपकरणों का आयात किया जाना आवश्यक समझा गया हैं; और

(घ)यदि हां, तो आयात हेतु प्रस्तावित उपकरणों की संख्या/किस्म और उनकी लागत का ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीइ ए0 आर0 अंतुले) : (क) एच आई वी-1 वायरस के एक सबटाइप ओ का हाल ही में पता लगाया गया हैं।

(ख)इस नई एच आई वी-1 सबटाइप ओ को मुख्य रूप से केमरूनियन मूल के रोगियों अथवा विश्व के अन्य भागों में अनेक सौन क्रिया संपकों से पृथक किया गया। मौजूदा जानकारी से पता चलता हैं कि सबटाइप ओ वायरस, यदि कोई हैं, का उन की व्याप्तता क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में एच आई वी निदान और रक्त निरापदता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता हैं। वैज्ञानिकों का मतैक्य यह हैंण कि रक्त निरापदता सहित मौजूदा एच आई वी एंटीबाडी जांच कार्यनीतियों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

(घ)प्रश्न नहीं उठता।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची द्वारा आदिवासी भूमि का अधिग्रहण

1050. **चौधरी हरमोहन सिंह** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार ने बिहार में रांची स्थिते हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए हजारों एकड़ आदिवासी भूमि का अधिग्रहण किया हैं;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग)क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने इस प्रकार अधिग्रहीत आदिवासी जमीन के एक बहुत बड़े भाग को

अपने ही आवासीय/व्यापारिक प्रयोजनों के लिए आवंटित किया हैं;

(घ)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ड.)आदिवासियों को उनकी जमीनों के लिए दी गई दरें और दी गयी कुल मुआवजा राशि का ब्यौरा क्या हैं और गैर-आदिवासियों को इन जमीनों का आवंटन किन दरों पर किया गया; और

(च)आदिवासियों को उनकी अधिग्रहीत भूमि के बदले में दिए गए अन्य लाभों का ब्यौरा क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 सी0 सिलवेरा) : (क) ओर (ख) बिहार सरकार ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के लिए 1958 से 1963 के दौरान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत आदिवासियों और गैर-आदिवासियों की 6530.3 एकड़ भूमि अधिगृहीत की थी।

(ग) और (घ) कुल अधिगृहीत भूमि में से एच0 ई0 सी0 ने भूमि का अधिकांश अपने रिहायशी/वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया हैं और भूमि का कोई भी हिस्सा किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया हैं।

(ड.)बिहार सरकार के भूमि अध्रिहण विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार संबंधित आदिवासियों और गैर-आदिवासियों को पूरा मुआवजा दिया गया था। एच0ई0सी0 द्वारा राज्य सरकार को दी गई कुल क्षतिपूर्ति 242.62 लाख रूपए थी।

(च)अधिगृहीत भूमि के बदले एच0ई0 सी0 द्वारा दिए गए अन्य लाभों ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(1)एच0ई0सी0 ने एक परिवार से एक व्यक्ति के आधार पर 2658 परिवारों को रोजगार दिया था।

(2)इस श्रेणी के और भी व्यक्तियों को एच0ई0सी0 मे समय-समय पर विभिन्न पदों पर रोजगार दिया गया हैं।

(3)हटिया के 428 विस्थापित/प्रभावित व्यक्तियों को, लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में सहा यता देने के लिए प्रशिशु अधिनियम के अंतर्गत एच0 ई0 सी0 प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया हैं

(4)विस्थापित/प्रभावित परिवारो की महिला सदस्यों को सामान्य नसिंग और आया का